सूचना का अधिकार

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
(सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ)
"मंत्रालय"
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर,
जिला–रायपुर
––00––

क्रमांक 680 /आर जी–347/2020/1–13 नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 13 मार्च, 2020

प्रति,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/
विशेष सचिव (स्वतंत्र प्रभार)
छत्तीसगढ़ शासन,
महानदी भवन, मंत्रालय,
नवा रायपुर, अटल नगर।

विषयः– मुख्य सूचना आयुक्त, छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 03.02.2020 हुई बैठक के कार्यवाही विवरण पर निर्देशित बिन्दुओं का पालन सुनिश्चित किये जाने बाबत्।

––––––000––––––

विषयांतर्गत लेख है कि **सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के सुचारू कियान्वयन हेतु** मुख्य सूचना आयुक्त, छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 03.02.2020 को वन विभाग में बैठक आयोजित की गई थी। मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा बैठक में दिये गये निर्देशानुसार सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग द्वारा जारी बैठक के कार्यवाही विवरण की छायाप्रति संलग्न है।

2/ अतः निर्देशानुसार अनुरोध है कि कृपया **सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग द्वारा जारी कार्यवाही विवरण में उल्लेखित टीप/निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।**

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

(मेरी खेस्स)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमांक 681 /आर जी–347/2020/1–13 नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 13 मार्च, 2020

प्रतिलिपि :–

सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग, सेक्टर–19, नार्थ ब्लाक, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर उनके पृष्ठाकंन प्रतिलिपि पत्र क्रमांक 539/छगरासूआ/2020, दिनांक 14.02.2020 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

दिनांक 03/02/2020 की बैठक का कार्यवाही विवरण

श्री एम. के. राउत, मुख्य सूचना आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 03.02.2020 को वन विभाग में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के सुचारू क्रियान्वयन हेतु बैठक आयोजित की गई। जिसमें श्री मोहन राव पवार, राज्य सूचना आयुक्त, श्री अशोक कुमार अग्रवाल, राज्य सूचना आयुक्त एवं श्री मनोज पिंगुआ, प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग उपस्थित रहे।

1/ वन विभाग के कुछ कार्यालयों में संविदा अधिकारी/कर्मचारी अथवा लेखा शाखा से संबंधित अधिकारी/कर्मचारियों को जनसूचना अधिकारी नियुक्त किया गया है। कार्यालय के किसी सक्षम अधिकारी जिन्हें विभागीय गतिविधियों की जानकारी हो, को जनसूचना अधिकारी बनाया जावे।

2/ आयोग द्वारा यह अपेक्षा की गई है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–4(1)(बी) के तहत दिए गए 17 बिन्दुओं से संबंधित कार्यालयों की जानकारी को वेबसाईट में अपलोड रखा जावे तथा प्रति वर्ष उसका अपडेशन किया जावे, जिससे कार्यालय को एक ही जानकारी बार–बार आवेदकों को देने की आवश्यकता न हो। उक्त जानकारी में प्रति वर्ष के बजट एवं व्यय की जानकारी भी सम्मिलित की जावे।

3/ आयोग में द्वितीय अपील की सुनवाई में यह तथ्य आया है कि अधिनियम की धारा–6(3)(ii) के तहत आवेदक के आवेदनों को ऐसे कार्यालय में स्थानांतरित किया जाता है, जो जानकारी उस कार्यालय से संबंधित ही नहीं होती। अतएव अधिनियम की धारा–6(3)(ii) के तहत स्थानांतरित किए जाने वाले आवेदनों को अधिनस्थ कार्यालय में आवेदक के द्वारा वांछित जानकारी के अनुरूप किया जावे।

4/ धारा–6(3)(ii) के अंतर्गत किसी आवेदन पत्र को अन्य कार्यालय में अंतरित करने पर भी संबंधित जनसूचना अधिकारी अपना नाम एवं पदनाम स्पष्ट रूप में लिखें, साथ ही अन्तरित किए गए कार्यालय के जनसूचना अधिकारी के साथ इनके प्रथम अपीलीय अधिकारी का भी उल्लेख किया जावे।

5/ वन विभाग में प्रथम अपीलीय अधिकारियों द्वारा प्रथम अपील आदेश पारित किए जा रहे हैं किन्तु आदेश पारित करने के उपरांत प्रथम अपीलीय अधिकारियों के द्वारा उनके स्वयं के आदेश का पालन नहीं कराया जा रहा है, जिससे आवेदक को आयोग के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत करना पड़ता है। उक्त संबंध में छत्तीसगढ़ शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक एफ 8–2/2014/1–13, दिनांक 31 अक्टूबर, 2014 में प्रथम अपीलीय अधिकारियों द्वारा अधिनियम के तहत जारी आदेश के पालन के संबंध में निर्देश दिए गए हैं। आयोग की वेबसाईट www.siccg.gov.in से उक्त परिपत्र की प्रति डाउनलोड की जा सकती है।

6/ जनसूचना अधिकारी के द्वारा यदि कोई गलत जानकारी दी गई है, उस स्थिति में प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष सुनवाई के दौरान सही जानकारी दिया जा सकता है।

7/ वन विभाग के द्वितीय अपील प्रकरणों में यह देखने में आया है कि आवेदकों के द्वारा केशबुक, बिल व्हाउचर, लॉक बुक, यात्रा डायरी, आदि की मांग की जाती है। जिसे अधिनियम के तहत जानकारी दी जा सकती है। किन्तु यह ध्यान रखा जाना है कि किसी की व्यक्तिगत जानकारी जैसे कि बैंक एकाउंट नंबर, आधार नंबर यदि उसमें दर्ज है, तो उस स्थिति में उसे छुपाकर दिया जाना है।

8/ वाहन की लॉक बुक कार्यालयीन दस्तावेज है, अतः उसे अधिकारी के स्थानांतरित होने पर कार्यालय में जमा किया जाना है, तथा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत मांगे जाने पर उसकी सत्यापित प्रति दिया जाना है।

9/ जनसूचना अधिकारी अपने पत्राचार में उनका नाम एवं पदनाम का अनिवार्य रूप से उल्लेख करें। प्रथम अपीलीय अधिकारी भी अपने प्रथम अपील आदेश में नाम एवं पद नाम का स्पष्ट उल्लेख करें। आयोग में किए जाने वाले पत्राचार में भी नाम का उल्लेख होना चाहिए।

9/ वन सुरक्षा समिति लोक प्राधिकारी है, अतः जनसूचना के तहत प्राप्त आवेदनों पर जवाब भी वन सुरक्षा समिति के सचिव के द्वारा ही दिया जाना चाहिए।

10/ समस्त अधिनस्थ कार्यालयों में जनसूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी का नाम एवं पदनाम का बोर्ड लगा होना चाहिए।

11/ आयोग द्वारा पारित आदेश का पालन प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित किया जावे।

12/ आयोग द्वारा क्षतिपूर्ति लगाए जाने की स्थिति में अधिनियम में दिए गए प्रावधान के अनुसार कार्यवाही की जाना चाहिए।